न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 270/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00365

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1. रमेशचन्द पुत्र लादुराम, जाति माली, निवासी बेरा रेलीया, बासना मार्ग साण्डिया, तहसील सोजत 2. पार्वती पत्नी जेठाराम जाति माली, निवासी बेरा ढीमडी, बासनी तिलवाडिया, तहसील सोजत 3. रूपकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपुत, निवासी साण्डिया, तहसील सोजत जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी 01 की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र दवे।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम साण्डिया की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार खसरा संख्या 1234 रकबा 0.38 किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 1999 के अनुसार खसरा संख्या 1234 के पुराना खसरा संख्या 579 है, जिसकी किस्म गै.मु.नाड़ा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जैर आराजी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किये जाने से उन्हे राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाडा थी। वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाडा थी। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त कर उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण को निस्तत फरमाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नाड़ा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। जैर आराजी मौके पर काबिल काश्त योग्य भूमि थी तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी अव्वल दर्ज कर दी गई है। आंवटियों द्वारा मौके पर हजारों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया एवं मौके पर बेरा खोदकर, बिजली कनेक्शन लेकर भूमि को उपजाऊ बनाया, आवंटित व्यक्ति बेकसूर है। आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है तथा तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नाडा है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम साण्डिया तहसील सोजत की जामबन्दी सम्तव् 2074–2077 के अनुसार खसरा संख्या 1234 रकबा 0.3800 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 रूपकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह तथा रमेशचन्द्र पुत्र लादुराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम साण्डिया के खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2025 के अनुसार गत खसरा संख्या 579 की किस्म गै.मु.नाड़ा थी, जिसके हाल खसरा संख्या 1234 रकबा 0.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल है। उक्त जैर आराजी की मूल किस्म गै.मु.नाड़ा थी तथा भू प्रबन्धन के दौरान उक्त भूमि खसरा संख्या 1234 की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. नाड़ा से बारानी अव्वल कर दी गई। ग्राम साण्डिया की जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार खसरा संख्या 579 किस्म गै.मु.नाड़ा भंवरी बेवा नरसीग कौम ब्राहम्ण सा. देह खुदकाश्त के रूप में दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2052 के अनुसार खसरा संख्या 1234 किस्म एरिया वालो नाड़ा में अंकित इबारत अनुसार प्रकरण संख्या 2375/79 में एआरओ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.79 के अनुसार भंवरी देवी का हिस्सा खारिज कर रामचन्द्र पुत्र नरसींग के नाम दर्ज किया गया। साथ ही पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक स्थिति अनुसार वर्तामन खसरा संख्या 1234 के पुराने खसरा संख्या 579 की किस्म गै.मु.नाड़ा दर्ज थी तथा वर्तमान में उक्त भूमि पड़त है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकद्दमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगाने एवं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परीक्षण करने के पश्चात मण्डल को अथवा राज्य सरकार को रेफरेन्स करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में भूमि कि किस्म गै.मु.नाड़ा दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त शिवजी लाल व अन्य बनाम बोर्ड आफॅ रेवेन्यू व अन्य, 2007(2) सी.डी.आर. 1724(राज) : 2007(2) डी.एन.जे. (राज) 898 एच.सी. में यह प्रतिपादित किया कि तालाब या नदी के पेटे की भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के कारण खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत (Accrue) नहीं होते।

जैर आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 वर्तमान में बतौर खातेदार दर्ज है तथा राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 की उपधारा 5 के अनुसार रेफरेन्स के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त कस्तूरी बाई बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान, 2002(1) सीडीआर 648 (राज.) : 2002 (2) डी.एन.जे. (राज.) 933 के अनुसार रेफरेन्स के मामलों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय उक्त भूमि कि किस्म गै.मु.नाड़ा से बारानी अव्वल दर्ज की गई है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है, इसके तहत उक्त रेफरेन्स मेन्टेनेबल है तथा हस्तगत प्रकरण इससे पूर्णतः प्रभावित है। प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकान बनाम लट्टू, 2013 आर.आर.डी. 727: 2014 (1) आर.आर.टी. 256 में यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी–विपक्षी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई सम्बन्धित नामान्तरण प्रभावित हुआ– धारा 16 आर.टी.ए. के अनुसार नदी, नाला, तालाब की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते–निदेश स्वीकार किया गया। भूमि को पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन दर्ज किए जाने का आदेश हुआ नामान्तरण किया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है।

परिणामस्वरूप, तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम साण्डिया तहसील सोजत के खसरा संख्या 1234 रकबा 0.3800 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार की प्रविष्टि को निरस्त फरमाकर जैर आराजी को पुनः गै.मु.नाड़ा दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली